उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

संख्या-23/2015/1392 /अडतीस-7-2015-148रिट/2015

लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

मनरेगा योजनान्तर्गत लोकपाल द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों की सुनवाई हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या -263/अडतीस-7-2015-148रिट/2014 दिनांक: 11-02-2015 द्वारा त्रिस्तरीय अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। उक्त गठित त्रिस्तरीय अपीलीय ट्रिब्यूनल को एतदद्वारा त्रिस्तरीय अपीलीय अथारिटी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है।

2- कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक- 11-02-2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(एन0के0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 23/2015/1392 (1)/अडतीस-7-2015 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त लोकपाल, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।